A.C.M. आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

सुरेश बनाम कमलेश

नाम न्यायालय ग्रा.प.

केस संख्या 51/25

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
	23-5-25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने समय चाहा। आ.पे. पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें। पत्रावली दिनांक 2-6-25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
Cost Received 500/- [signature] 2-6-25 (Plaintiff)	2-6-2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13-6-25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	13-6-25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उपस्थित। प्रस्तुत तर्कों दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद ~~किया जाता है~~ मूलवाद निस्तारण के [illegible] तक किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 51/2024 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 15.07.2024

1. सुरेश पुत्र श्री नानूराम
2. मदन पुत्र श्री नानूराम, आयु 34 वर्ष,
3. श्रवण पुत्र श्री नानूराम, आयु 31 वर्ष, निवासीगण ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज.)।

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. कमलेश पुत्र श्री गंगासहाय
2. घनश्याम पुत्र श्री गंगासहाय
3. कैलाश चंद पुत्र श्री लल्लूराम
4. महेश चन्द पुत्र श्री लल्लूराम
   समस्त निवासियानः ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज.)।
5. तहसीलदार, आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..........अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 13.06.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है प्रार्थीगण प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 व 2 सगे भाई हैं तथा प्रार्थीगण एवं सभी विपक्षीगण एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है और वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के मूल निवासी हैं। वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में प्रार्थीगण व प्रतिवागण के मालिकाना हक व अधिकार की आराजी खसरा नंबर 91 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, नया खाता संख्या 44 व पुराना खाता संख्या 254, संयुक्त खातेदारी की शामलाती कृषि भूमि स्थित है, जो राजस्व भू–अभिलेखों में प्रार्थीगण के पूर्वजों अर्थात् पितामह श्री लिछमीनारायण एवं विपक्षी संख्या 3 व 4 के नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज हैं और प्रार्थीगण व विपक्षीगण उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर उसका उपयोग, उपभोग करते हुए काश्त करते आ रहे हैं। उक्त आराजी खसरा नंबर की कृषि भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पितामह श्री लिछमीनारायण जी एवं विपक्षी संख्या 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमि थी जिसमें श्री लिछमीनारायण जी का 19/50 हिस्सा था। श्री लिछमीनारायण जी ने अपने जीवनकाल में ही वर्ष 2003 में उक्त संयुक्त खातेदारी की. शामलाती कृषि भूमि में उनके निहित 19/50 हिस्से में से 5/19 भाग की खातेदारी कृषि भूमि को समस्त हकूक मय बौल, सूल, पानी, पूला, वृक्षादि के विपक्षी संख्या 3 व 4 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2003 ईस्वी को बेचान कर दी और विक्रय पत्र का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

पंजीयन उप पंजीयक, आमेर के समक्ष करवाकर भूमि का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा विपक्षी संख्या 3 व 4 को सम्भला दिया, जिसके पश्चात् से विपक्षी संख्या 3 व 4 उक्त खरीद की गई भूमि 5/19 भाग का उपयोग उपभोग करते हुए कब्जे काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी खसरा नंबर की भूमि में श्री लिछमीनारायण जी के 19/50 हिस्से में 5/19 भाग की भूमि को बिक्री किये जाने के पश्चात शेष रही कृषि भूमि के बाबत श्री लिछमीनारायण जी ने अपने जीवनकाल में ही वर्ष 2021 में अपने पौत्रों प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 के हक में दिनांक 10.06.2021 को एक वसीयत निष्पादित करते हुए शेष रही भूमि का 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण को एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 व 2 को समान रूप से प्रदान किया गया। दिनांक 25.07.2021 को श्री लिछमीनारायण जी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 ने उक्त वसीयत के आधार पर उनके हिस्से में आयी भूमि के अपने अपने भाग पर मनबट व मनमाफिक तारीके से बतौर सहकृषक काबिज होकर कब्जे काश्त करना प्रारंभ कर दिया। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य उक्त आराजी खसरा नंबर की भूमि का आज दिन तक मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा नहीं हुआ है, ना उक्त भूमि का तकास्मा हुआ है, जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में उक्त आराजी भूमि की बाजारू कीमत बढ़ जाने के कारण विपक्षी संख्या 1 व 2 के मन में लालच व नीयत में खोट आ गया है, जिससे विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त आराजी भूमि में प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग, उपभोग में अवरोध पैदा करते हुए दखलंदाजी उत्पन्न करने लग गए हैं और उक्त भूमि का तकारमा नहीं होने एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने का फायदा उठाते हुए विपक्षी संख्या 3 व 4 के साथ मिलीभगत करके उनके सहयोग से उक्त भूमि को भूमाफियाओं को बेचकर उनका कब्जा स्थापित करवाने हेतु प्रयासरत हैं, जिसका विपक्षीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त आराजी खसरा नंबर की संयुक्त खातेदारी की भूमि के संबंध में विपक्षीगण को विधिक रूप से यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे उक्त भूमि का बिना विधिवत तकास्मा करवाये, उक्त भूमि का किसी को विपक्षी संख्या 3 व 4 के सहयोग से भूमाफियाओं को बेचान करने पर आमादा हैं, जिससे न्यायालय श्रीमान् का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। उक्त आराजी खसरा नंबर की संयुक्त खातेदारी की भूमि पर विपक्षीगण द्वारा नाजायज रूप से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किए जा रहे अवरोध व व्यवधान के कारण, प्रार्थीगण के समक्ष अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है, सिवाय इसके कि वे माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उक्त विवादित भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवाते हुए उसका तकास्मा करवायें और उक्त आराजी भूमि के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में अपना अपना नाम अमल दरामद करवाकर अपने हिस्से की भूमि की पृथक से लगान निर्धारित करवावें तथा विपक्षीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद करवाये कि विपक्षीगण उक्त आराजी खसरा नंबर की विवादित भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। प्रार्थीगण को इस जमीन से बेदखल कर देंगे। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 व 2 से आग्रह किया कि उक्त विवादित भूमि का अभी तक ना तो मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

हुआ है और ना इसका तकास्मा हुआ है. तो तुम हमारे हिस्से की भूमि को कैसे बेच सकते हो तो, विपक्षीगण ने एक राय होकर उक्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवाने एवं तकास्मा कराने से साफ इन्कार कर दिया और प्रार्थीगण के साथ मारपीट करने पर आमादा फसाद हो गए। विपक्षीगण के उक्त कृत्य से व्यथित होकर प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त घटना के पश्चात प्रार्थीगण ने अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष दिनांक 13/06/2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुतत किया। परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दौराने दावा विपक्षीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो वे प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण के मालिकाना स्वत्व, हित व अधिकार की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर उसे खुर्दवुर्द करने में सफल हो जावेगे, जिससे प्रार्थीगण के मालिकाना हक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा और व्यर्थ की मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सगे भाई नही हैं, उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा नही होकर लक्ष्मीनारायण के भाई बद्रीनारायण का कब्जा काश्त हैं। मिन उत्तरदातागण अपनी क्रयशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जिससे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई संबंध व सरोकार नहीं हैं। मिन उत्तरदातागण क्रय के दिन से अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त करते हैं। परन्तु वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 ने आपस में साजकर उक्त वाद पेश किया है जो काबिले खारिज योग्य है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार ही नही है तथा वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नही होकर बद्रीनारायण का कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में वादीगण माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार का विभाजन करवाने के कानूनन अधिकारी नही हैं। वादीगण का वाद कब्जे के अभाव में खारिज किये जाने योग्य हैं। वाद पत्र की मद नंबर 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार है। जैसा कि उपरोक्त मदो में स्पष्ट किया जा चुका है कि जब वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार ही नही है ना ही उनका मौके पर कब्जा काश्त है, तो वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन करवाने का संबंध में वार्तालाप करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण का वाद कब्जे काश्त के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य हैं। वाद पत्र की मद नंबर 11 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। उक्त मद में वर्णित दिनांकित घटना 11/6/2024 को वादीगण व मिन उत्तरदातागण के मध्य किसी प्रकार की कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 16:39:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

वार्तालाप नही हुई ना ही मिन उत्तरदातागण ने वादीगण को किसी भी प्रकार की कोई एलानियां धमकी दी हैं। वैसे भी मिन उत्तरदातागण एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें अपनी भूमि का सभी प्रकार से उपयोग उपभोग करने का हक व अधिकार प्राप्त है जिनको पाबन्द करवाने का अधिकार वादीगण को नही हैं। उक्त मद में वर्णित समस्त कथन केवल मात्र वादकारण अंकित करने की गरज से दर्ज किये हैं। वादीगण का वाद वादकारण के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य एवं वादीगण अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–1 में जिस प्रकार अभिवचन किये गये है, गलत एवं असत्य होने से प्रार्थीगण को सफलता की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 में जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील किया गया है, आंशिक रूप से स्वीकार है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 के दादाजी गोपीराम व गंगाबख्श आपस में सगे भई थे, जिसमें गोपीराम के तीन पुत्र सूरजमल, बद्रीनारायण व लक्ष्मीनारायण थे तथा लक्ष्मीनारायण के तीन पुत्र गंगासहाय, नानूराम व रामवतार थे, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 नानूराम के जाईदा पुत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 गंगासहाय के जायंदा पुत्र है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सगे भाई ना होकर चचेरे भाई है। उक्त वर्णित सभी सदस्य एक ही परिवार के है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित अभिवचन विवादित नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित अभिवचन आंशिक रूप से स्वीकार है। वास्तविकता यह है कि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 के पितामह लक्ष्मीनारायण जी एवं अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 की संयुक्त खातेदारी की होना स्वीकार है। शेष कथन का सिद्धिभार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित अभिवचन विवादित नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित अभिवचन विवादित नहीं हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 जिस प्रकार अभिवचन किये गये है गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। उक्त विवादग्रस्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सदैव तैयार एवं तत्पर रहे है। तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में वर्णित अभिवचन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की नियत में कि[illegible]र का खोट नही आया है, अपितु अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 द्वारा लगातार [illegible] व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि को हडप करने तथा खुर्दबुर्द कर[illegible] अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 का उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नही होने [illegible] फायदा उठाने की इच्छा से उक्त विवादग्रस्त भूमि को हडप कर जाने की रही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 में अभिवचन में यह तथ्य स्वीकार है कि उक्त आराजी खसरा नम्बरान की भूमि संयुक्त खातेदारी की होना स्वीकार है। शेष कथन असत्य होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 द्वारा प्रार्थीगण के हक एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 14:39:39 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से की भूमि पर कोई व्यवधान व अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 11 में वर्णित अभिवचन में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि होना स्वीकार है। शेष कथन असत्य एवं गलत होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में कोई अवरोध एवं व्यवधान उत्पन्न नही किया जा रहा है, अपितु अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 द्वारा प्रार्थीगण एवं मिन अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं होने का फायदा उठाते हुये अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की भूमि पर व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 12 में वर्णित अभिवचन असत्य एवं गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 11.06.2024 को मिन उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 द्वारा इस प्रकार की कोई घटना कारित ही नही हुई है, अपितु अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 द्वारा भूमि की नापजोख एवं सीमांकन एवं भूमि को खुर्द बुंर्द करने के उद्देश्य से दीगर व्यक्तियों के साथ नाजायज रूप से वादग्रस्त भूमि में प्रवेश करने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का विरोध किया था। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 14 गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। उक्त तथाकथित कथन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नही होते है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 15 में वर्णित समस्त अभिवच नितान्त गलत, असत्य एवं आधारहीन होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 द्वारा ऊपर के मदों में की गई विस्तृत जवाबदेही के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया केस, अपूर्णीय क्षति का पक्ष एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में स्थिर नहीं है, जिससे उक्त मदों में वर्णित समस्त कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, उपरोक्त वर्णित समग्र तथ्यों, अभिवचनों की दृ ष्टि में अवलोकित करते हुए मय हर्जे खर्च खारिज किए जाने के आदेश फरमावे।

वादी/प्रार्थी की ओर से अपने पक्ष में परिपत्र संख्या प. 5(16)राज/ग्रुप–4/81/12 दिनांक 07.08.1981 (उत्तराधिकार वसीयत में नामान्तरण) एवं क्रमांक प.() राज–6/97/3 दिनांक 13.02.1978 (वसीयत में नामान्तकरण के संबंध में) राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण आदेश एवं परिपत्र की प्रति पेश की।

उभयपक्षीय विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों [illegible] उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। प्रार्थीगण के अभिवचन के अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पितामह श्री लिछमीनारायण जी एवं विपक्षी [illegible] 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमि थी, जिसमें श्री लिछमीनारायण जी का 19/50 हिस्सा था। श्री लिछमीनारायण जी ने अपने जीवनकाल में ही वर्ष 2003 में उक्त संयुक्त खातेदारी की. शामलाती कृषि भूमि में उनके निहित 19/50 हिस्से में से 5/19 भाग की खातेदारी कृषि भूमि को समस्त हकूक मय बौल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

सूल, पानी, पूला, वृक्षादि के विपक्षी संख्या 3 व 4 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2003 ईस्वी को बेचान कर दी और विकय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक, आमेर के समक्ष करवाकर भूमि का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा विपक्षी संख्या 3 व 4 को सम्भला दिया, जिसके पश्चात् से विपक्षी संख्या 3 व 4 उक्त खरीद की गई भूमि 5/19 भाग का उपयोग उपभोग करते हुए कब्जे काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी खसरा नंबर की भूमि में श्री लिछमीनारायण जी के 19/50 हिस्से में 5/19 भाग की भूमि को बिक्री किये जाने के पश्चात शेष रही कृषि भूमि के बाबत श्री लिछमीनारायण जी ने अपने जीवनकाल में ही वर्ष 2021 में अपने पौत्रों प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 के हक में दिनांक 10.06.2021 को एक वसीयत निष्पादित करते हुए शेष रही भूमि का 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण को एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 व 2 को समान रूप से प्रदान किया गया।

चूकि वर्तमान सभी तथ्य वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाऐंगी यहा प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना है लिछमीनारायण ने अपने जीवनकाल में ही वर्ष 2021 में अपने पौत्रों प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 के हक में दिनांक 10.06.2021 को एक वसीयत निष्पादित की हैं, हालांकि वसीयत पर घोषणा एवं निर्णय मूलवाद में गुणावगुण पर किया जावेगा। वसीयत के निष्पादन से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सावित होता है। यदि उक्त आराजी का अप्राथीगण द्वारा वेचान, खुद–फुर्द किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति भी हो सकती है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के संरक्षण हेतू मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक होता है। जहां तीनो विंदुओ में से एक भी विंदु सावित होता है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में वखूवी सावित है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकरान को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर के खसरा नंबर 91 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, नया खाता संख्या 44 व पुराना खाता संख्या 254 में मौके एवं रिकॉर्ड में यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर